

## डिब्बाबंद वस्तुओं के निर्माताओं व विक्रेताओं के निरीक्षण की चेकलिस्ट

1.	निरीक्षण का दिनांक	
2.	फर्म/प्रतिष्ठान/दुकान का नाम व पता	
	व्यापार का नाम	
	मालिक/व्यापारी का नाम व पता	
	मोबाइल नं०	
3.	उपस्थित व्यक्ति का नाम एवं पता	
4.	पैकेट पर निम्नलिखित आवश्यक धोषणाओं का विवरण:—	
	• निर्माता/पैकर का नाम व पता	
	• वस्तु का सामान्य/जैनरिक नाम	
	• पैकिंग का माह व वर्ष	
	• अधिकतम खुदरा मूल्य(सभी करों सहित)	
	• वस्तु की शुद्ध मात्रा	
	• जिन वस्तुओं के संबंध में आकार इत्यादि महत्वपूर्ण है उनका उल्लेख	
• कस्टमर केयर के रूप में व्यक्ति/कार्यालय का नाम व पता, दूरभाष नं० व		
5.	विक्रेता द्वारा MRP से अधिक मूल्य पर विक्रय की स्थिति	
6.	निर्माता/पैकर की विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी "शुद्ध मात्रा" की जांच के अन्तर्गत—	
	• वस्तु की घोषित शुद्ध मात्रा	
	• लिए गये सैम्पल पैकेटों की संख्या	
	• अधिकतम क्षम्य छूट सीमा (mpe)	
	• पायी गयी औसत शुद्ध मात्रा	
• mpe से अधिक कमी वाले पैकेटों की सं०		
7.	घोषित शुद्ध मात्रा के सापेक्ष विक्रेता स्तर पर जांच में पायी गयी शुद्ध मात्रा का विवरण	
8.	PCR 2011 के नियम-18(7) से आच्छादित व्यापारियों अथवा LPG हाकरों के पास तौल सुविधा/यंत्र उपलब्ध पाए जाने की स्थिति	
9.	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई अनियमितता पायी गयी, तो विवरण	
10.	पाई गयी अनियमितता के संबन्ध में निर्गत अभिग्रहण ज्ञाप संख्या व दिनांक	